

ok
II

प्रेषक,

रनवीर सिंह
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या-13, आगरा।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय,
आगरा।

विषय- पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के संबंध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 9792/VIIb-104/ Admin D Section Dated 19.07.2024 के संबंध में विनम्रतापूर्वक सादर अवगत कराना है कि शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024 दिनांक 28 जून 2024 व शासनादेश सं० 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के संबंध में विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उचित कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर ।

भवदीय,

Ranveer Singh
25.07.2024
(रनवीर सिंह)

दिनांक-25.07.2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-13, आगरा।

संलग्नक:-

शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024
दिनांक 28 जून 2024 व शासनादेश सं० 20/2024/सा-3-276/
दस-2024/301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में विकल्प पत्र।

पत्रांक सं. 3859/xv दिनांक 25.7.24
अग्रसारित

जिसा जस. आगरा
25.7.24



विकल्प पत्र

1. नाम - रनवीर सिंह
2. वर्तमान पदनाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा
3. वेतनमान - 144840-194660
4. वर्तमान विभाग का नाम - न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
6. विज्ञप्ति की तिथि - 15.11.2003
(विज्ञापन सं० A-2/E-1/2003)
(प्रकाशित 22-28, नवम्बर 2003 रोजगार समाचार)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 26.05.2006
उ०प्र० शासन नियुक्ति अनुभाग-4
(सं० 2430/दो-4-06-32(1)/2001 टीसी- 1)
8. योगदान की तिथि - 17.06.2006
9. जन्म तिथि - 06.07.1977
10. सेवानिवृत्ति की तिथि - 31.07.2037

मैं रनवीर सिंह पुत्र स्व० श्री विश्वम्बर लाल शासनादेश संख्या 14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024/ 301(1) / 2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (√) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

Ranveer Singh
(रनवीर सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगरा।

घोषणा पत्र

मैं रनवीर सिंह पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

Ranveer Singh
(रनवीर सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगरा।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री रनवीर सिंह पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (√) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति / सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

जिला एवम् सत्र न्यायाधीश,
आगरा (उ०प्र०)